



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 437]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 1979/कार्तिक 7, 1901

No. 437]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 1979/KARTIKA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1979

आय-कर

क्रा० आ० 608(घ):—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (षष्ठ संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1980 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिच्छिष्ट 2 में:—

(1) प्रारम्भ सं० 1 में,—

(क) उपबोध ग के भाग 1 के उपभाग ख में,—

(i) मद 2 में, उपमद (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी अर्थात्:—

“(ट) आरक्षित या दूबंत और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध [धारा 36 (1) (vii) (क) में निर्दिष्ट दूबंत और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध से शिवा]”;

(ii) मद 3 में,—

(क) उपमद (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(ड) ग्राम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए या ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए संघागों और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय-धारा 35 ग ग क;”

(ख) उपमद (ट) से (द) तक को उपमद (ठ) से (घ) तक के रूप में पुनर्क्षरित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्क्षरित उपमद (ठ) के पूर्व निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(ट) दूबंत और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध—  
धारा 36(1) (vii)क”;

(ब) उपबंध ग के भाग 1 में,—

(i) मद 2 से 5 तक को मद 3 से 6 तक के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद

(3) के पूर्व निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

“(2) वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए संदान—  
धारा 80 छ छ क”;

(ii) मद 6 से 13 तक को मद 8 से 15 तक के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद 8 के पूर्व निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

“7. उपाय दत्तकों के कारखार से लाभ और उपलब्धि—  
80 ज ज क”;

(2) प्रारम्भ सं० 2 में,—

(क) उपबंध ग के भाग 1 के उपभाग ख की मद 3 में उपमद

(छ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी अर्थात् :—

“(छ) ग्राम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वा ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए संघाओं और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय-धारा 35 गग क”;

(ख) उपाबंध छ के भाग 1 में,—

(i) मद 8 और 9 को मद 9 और 10 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद 9 के पूर्व निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“8. उगते छत्रकों के कारखार से लाभ और उपलब्धि—80 ब ब क”

(ii) मद 10 से 13 तक को, मद 12 से 15 तक के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद 12 के पूर्व, निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“11. भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की वृत्तिक आय—80 ब ब क”;

(3) प्ररूप सं० 2 क के उपाबंध ख के भाग 1 में, मद 4 से 6 तक को मद 5 से 7 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद 5 के पूर्व, निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“4 वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए संदान धारा 80 छ छ क”;

(4) प्ररूप सं० 3 के उपाबंध घ के भाग 1 में, मद 4 से 9 तक को मद 5 से 10 तक के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद 5 से पूर्व निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“4 वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामविकास के लिए संदान धारा 80 छ छ क”;

(5) प्ररूप सं० 3 क के उपाबंध ग के भाग 1 के उपभाग ख को मद 3 में उपमद (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी अर्थात् :—

“(छ) ग्राम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वा ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए संघाओं और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय-धारा 35 गग क।”

[सं० 3047/ फा० सं० 142/8/79- टी पी एल]  
एस० एन० शेंडे, सचिव,

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Central Board of Direct Taxes)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 1979

**INCOME-TAX**

**S.O. 608(E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1980.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II,—

(1) in Form No. 1,—

(a) in Annexure C, in Part I, in Sub-Part B,—

(i) in item 2, for sub-item (k), the following sub-item shall be substituted, namely :—

“(k) Reserve or provision for bad and doubtful debts other than provision for bad and doubtful debts referred to in section 36(1)(viiia)”;]

(ii) in item 3,—

(A) for sub-item (g), the following sub-item shall be substituted, namely :—

“(g) Expenditure by way of payment to associations and institutions for carrying out rural development programme or for training of persons for implementing such programmes—Sec. 35-CCA”;

(B) sub-items (k) to (r) shall be re-lettered as sub-items (1) to (s) and before sub-item (1) as so re-lettered, the following sub-item shall be inserted, namely :—

“(k) Provision for bad and doubtful debts—Sec. 36(1)(viiia)”;]

(b) in Annexure F, in Part I,—

(i) items 2 to 5 shall be re-numbered as items 3 to 6 and before item 3 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“2. Donations for scientific research or rural development—80-GGA”;

(ii) items 6 to 13 shall be re-numbered as items 8 to 15 and before item 8 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“7. Profits and gains from business of growing mushrooms—80-JJA”;

(2) in Form No. 2,—

(a) in Annexure D, in Part I, in Sub-Part B, in item 3, for sub-item (g), the following sub-item shall be substituted, namely :—

“(g) Expenditure by way of payment to associations and institutions for carrying out rural development programmes or for training of persons for implementing such programmes—Sec 35CCA”;

(b) in Annexure G, in Part I,—

(i) items 8 and 9 shall be re-numbered as items 9 and 10 and before item 9 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“8. Profits and gains from business of growing mushrooms—80JJA”;

(ii) items 10 to 13 shall be re-numbered as items 12 to 15 and before item 12 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“11. Professional income of authors of text books in Indian languages—80QQA”;

(3) in Form No. 2A, in Annexure B, in Part I, items 4 to 6 shall be re-numbered as items 5 to 7 and before item 5 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“4. Donations for scientific research or rural development—80GGA”;

(4) in Form No. 3, in Annexure D, in Part I, items 4 to 9 shall be re-numbered as items 5 to 10 and before item 5 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“4. Donations for scientific research or rural development—80GGA”;

(5) in Form No. 3A, in Annexure C, in Part I, in Sub-Part B, in item 3, for sub-item (g), the following sub-item shall be substituted, namely :—

“(g) Expenditure by way of payment to associations and institutions for carrying out rural development programmes or for training of persons for implementing such programmes—sec. 35CCA”.

[No. 3047/E. No. 142(8)/79-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.